अध्याय—1

भूमिका

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक सांविधानिक निकाय के रूप में अपने अस्तित्व के दो वर्ष 12-3-94 को पूरे किए। आयोग की प्रथम रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष 25 अगस्त, 1994 को प्रस्तुत की गई। संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 का संशोधन किए जाने के बाद सांविधानिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में की गई उसका उल्लेख आयोग की प्रथम रिपोर्ट में किया जा चुका है।

1.2 आयोग ने 7918 शिकायतों और याचिकाओं पर कार्यवाही की। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार के जिन मामलों की सूचना मिली थी उनके बारे में आयोग ने 44 मामलों में क्षेत्रीय जांच की। प्रस्तुत रिपोर्ट अधिकांशत: आयोग में प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्यवाही तथा क्षेत्र में की गई जांचों पर आधारित है।

आयोग की बैठकें

1.3 अप्रैल, 1993 और मार्च, 1994 के बीच की अवधि में आयोग की छ: बैठकें निम्नलिखित तिथियों में हुईं :—

चौथी बैठक	21-4-93
आपात बैठक	16-7-93
पांचवीं बैठक	18-8-93
छठी बैठक	15-9-93
सातवीं बैठक	29-9-93
आठवीं बैठक	22-3-94

1.4 अनुच्छेद 338 के खंड (4) के अंतर्गत आयोग की प्रक्रिया के नियमों को 22-3-94 की बैठक में अंतिम रूप दिया गया और उन्हें 5-4-94 के राजपत्र/गजट में अधिसूचित किया गया।

देश का बदलता हुआ परिदृश्य

1.5 भारत अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए वचनबद्ध एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व के पांच दशक शीघ्र ही पूरे कर लेगा। भारत के संविधान में प्रतिष्ठित सर्वोच्च आदर्शों को विभिन्न विधायी, प्रशासनिक उपायों तथा विकास कार्यक्रमों द्वारा मूर्त रूप देने के प्रयत्न पिछले चार दशकों से अधिक की समयावधि में किए गए हैं। निस्संदेह, इन उपायों से एक परिवर्तन आया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनसे पद दलित लोगों में जागरूकता आई है। समाज के जिन वर्गों की अनादिकाल से उपेक्षा की जा रही थी और जिनका अस्तित्व न केवल आर्थिक रूप से वरन् समाज में उनकी हैसियत की दृष्टि से भी अकल्पनीय रूप से दयनीय था वे वर्ग अब अपने अधिकारों के लिए आग्रह करने लगे हैं। संविधान के प्रावधानों और उनके अंतर्गत किए गए अनेक उपायों के परिणामस्वरूप भी उनमें यह भावना पैदा हुई है कि वे उन अधिकारों का लाभ प्राप्त करने के लिए आग्रह करें जिनकी गारंटी उन्हें दी गई है। इतना ही नहीं, वे देश के प्रबंध में सभी स्तरों पर उन्हें अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं। यह जो कुछ हो रहा है यद्यपि वह अनपेक्षित विलंब से हो रहा है, फिर भी, उसका शुरू होना भी एक संतोष की बात है।

1.6 आज के विश्व में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। जो कुछ पहले अनेक दशकों में घटित होता था वह अब कुछ सप्ताहों में ही घटित हो जाता है। सूचना और समाचार कुछ सैकिंडों में ही दुनिया के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच जाते हैं। अनेक विकासशील देशों के समाजों में विदेशीय संस्कृतियों, विशेषकर पश्चिमी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। भारत में भी पिछले आठ-दस वर्षों में अनेक क्षेत्रों में तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। हाल के वर्षों में भारत के आर्थिक परिदृश्य में भी तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। उदारीकरण और औद्योगिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप के निजीकरण और कुछ उपक्रमों में निजी क्षेत्रों को प्रवेश की छूट दिए जाने के दो महत्वपूर्ण नीति-निर्देशों से उत्पन्न परिणामों का दीर्घकालिक प्रभाव होगा। इसके साथ ही अद्यतन टैक्नोलोजी पर भी ज़ोर दिया जा रहा है क्योंकि यह अनुभव किया जा रहा है कि अद्यतन टैक्नोलोजी प्राप्त किए बिना देश उस दौड़ में पिछड़ जाएगा जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर चल रही है। इसमें संदेह नहीं कि इस नए नीति निर्देश के समर्थक भी हैं और विरोधी भी और इन उपायों के पक्ष में और विपक्ष में भी तर्क दिए जा सकते हैं। इस आयोग का वास्तव में आर्थिक तर्क-वितर्क से कोई सरोकार नहीं है लेकिन यदि वह वर्तमान वस्तुस्थिति और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की अपेक्षाओं और आशंकाओं तथा उनके भविष्य की ओर ध्यान नहीं देता तो वह अपने दायित्व के निर्वहन में विफल होगा। यद्यपि, नए नीति निर्देश के विषय में इतनी जल्दी कोई स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं किया जा सकता लेकिन आयोग का यह अनुरोध है कि निजीकरण के उपायों के साथ ही ऐसे समानांतर उपाय भी किए जाएं जिनके द्वारा अ०जा० और अ०ज०जा० के वैध हितों की सुरक्षा की जा सके। संभव है कि नई व्यवस्था में केवल उन्हीं लोगों को लाभ हो जो पहले से ही उन्नत हैं और स्पर्धा करने में सक्षम हैं। अत: जिन लोगों को पहले प्राप्त अवसरों और समर्थन से वंचित रखा गया है उनको सक्षम बनाने के लिए दृढ़तर समर्थन प्रणाली निर्मित करना तथा अत्यधिक विशेष प्रयत्न करना आवश्यक है।

अन्य पिछड़े वर्ग--इंदिरा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

1.7 आर्थिक तथा औद्योगिक नीति के परिवर्तनों के अतिरिक्त, अ०जा० और अ०ज०जा० को दिए गए सांविधानिक सुरक्षणों के व्यापक संदर्भ में , एक अन्य महत्वपूर्ण बात का उल्लेख भी आवश्यक है। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्थितियों और उनके सामने आने वाली कठिनाईयों की जांच-पड़ताल करने तथा उनकी स्थिति में सुधार तथा उन कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए सुझाव देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान संविधान में किया गया है। तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी जिसका प्रचलित नाम मंडल आयोग था। इस आयोग ने 31-12-1980 को अपनी निपोर्ट दी थी। भारत सरकार ने 13-8-1990 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसमें कहा गया था कि आयोग की रिपोर्ट तथा आयोग के मतानुसार सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सरकार का यह स्पष्ट विचार था कि इन वर्गों को संघीय सेवाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों की सेवाओं में शुरू से ही महत्व दिया जाए। तदनुसार, भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं की रिक्तियों में सीधी भर्ती के समय 27% रिक्तियों को सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करने के लिए आदेश जारी किए गए।

1.8 यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सरकार के इस निर्णय के तुरन्त बाद कुछ उत्तरी राज्यों में उसका व्यापक विरोध किया गया। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ज्ञापन को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गईं। इंदिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारतीय संघ तथा अन्य से संबंधित रिट याचिका (सिविल) 1990 की संख्या 930 पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 16-11-1992 को निर्णय दिया। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षणों से संबंधित प्रश्नों सहित अनेक मौलिक प्रश्नों पर निर्णय किया जिनमें से कुछ के परिणाम दूरगामी हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सार

1.9 उपरोक्त मामलों में अ०जा० और अ०ज०जा० से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के विषय में उच्चतम न्यायालय के उत्तरों का सार निम्नलिखित है :—

(1) (क) यह आवश्यक नहीं है कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत "प्रावधान" आवश्यक रूप से संसद/विधानमंडल द्वारा किया जाए। ऐसा प्रावधान कार्यपालिका द्वारा भी किया जा सकता है। स्थानीय निकायों, सांविधिक निगमों और संविधान के अनुच्छेद-12 के अधीन आने वाले राज्य के अन्य प्रशासनिक तन्त्र स्वयं ऐसा प्रावधान करने के लिए सक्षम हैं।

(ख) अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत प्रावधान करने वाला कार्यपालिका का आदेश दिए जाने तथा जारी किए जाने के समय से ही प्रवर्तनीय है।

(2) (क) अनुच्छेद 16 का खंड (4) खंड (1) का अपवाद नहीं है। वह खंड 1 में अंतर्निहित वर्गीकरण का दृष्टांत और उदाहरण है।

(ख) जैसा कि इस निर्णय में स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 16(4) पूर्णरूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में है।

(ग) अनुच्छेद 16 के खंड (1) के अंतर्गत भी आरक्षण दिए जा सकते हैं। वे केवल अधिमान्यताओं, रियायतों अथवा छूटों तक ही सीमित नहीं है। यदि खंड (1) के अंतर्गत कोई आरक्षण दिए जाते हैं तो, इस निर्णय के अनुसार, उनको इस प्रकार समायोजित और क्रियान्वित किया जाना चाहिए कि वे "पिछड़े वर्ग के नागरिकों" के लिए विहित आरक्षणों से अधिक न हों।

(3) (क) भारत में एक जाति एक सामाजिक वर्ग के रूप में हो सकती है और प्रायः इसी रूप में होती है। यदि वह सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी है तो वह अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजन के लिए पिछड़ा वर्ग होगी। गैर-हिंदुओं में ऐसे अनेक व्यावसायिक समूह, सम्प्रदाय और उप-जातियां हैं जो ऐतिहासिक कारणों से सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजन के लिए वे भी सामाजिक रूप से पिछड़े समूह हैं।

(ख) संविधान और विधि, दोनों में ही पिछड़े वर्गों की पहचान करने की कोई प्रक्रिया या प्रणाली निर्दिष्ट नहीं की गई है। न्यायालय के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया या प्रणाली निर्धारित करना संभव भी नहीं है और न ऐसा करना वांछनीय ही है। पिछड़े वर्गों की पहचान करने का काम उस प्राधिकरण के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए जिसकी नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए की गई है। प्राधिकरण कोई भी ऐसी प्रणाली/प्रक्रिया अपना सकता है जो उसे सुविधाजनक लगे और जहां तक वह अपने सर्वेक्षण में समस्त जनसमुदाय को शामिल करता है वहां तक उस प्रणाली/प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। लोगों के अन्य व्यावसायिक समूहों, वर्गों के अतिरिक्त उनकी जाति के आधार पर भी पिछड़े वर्गों की पहचान निश्चित रूप से की जा सकता है। यह प्रक्रिया या तो व्यावसायिक समूहों के आधार पर या जाति के आधार पर या किसी अन्य प्रकार के समूहों के आधार पर आरम्भ की जा सकती है। अतः जहां हमें ऐसी जातियां मिलें वहां हम जाति को लेकर यह प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, उस पर मापदण्ड (पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए अपनाया गया मापदण्ड) लागू करके यह पता लगा सकते हैं कि वह उस मापदण्ड के अनुरूप है या नहीं। यदि वह जाति उस मापदण्ड के अनुरूप है तो वही जाति अनुच्छेद 16(4) के अर्थों में और उसके

प्रयोजन के लिए, ''नागरिकों का पिछड़ा वर्ग'' के रूप में सामने आती है। यही प्रक्रिया अन्य व्यावसायिक समूहों, समुदायों ओर वर्गों पर भी इस प्रकार लागू की जा सकती है कि वह पूरी आबादी पर लागू हो। मुख्य विचार और सर्वोपरि उद्देश्य यही होना चाहिए कि समाज के सभी ज्ञात समुहों, समूदायों और वर्गों के बारे में विचार किया जाए। क्योंकि जाति एक ऐसा विद्यमान सामाजिक समूह/वर्ग है जिसके आधार पर देश की अधिकांश आबादी की पहचान की जा सकती है इसलिए हम पिछड़े वर्गों की पहचान करने का काम जाति के आधार पर भी आरंभ कर सकते हैं और बाद में अन्य समूहों, समुदायों और वर्गों के आधार पर ऐसा कर सकते हैं।

(ग) किसी वर्ग को पिछड़ा वर्ग का नाम दिए जाने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि उस वर्ग की परिस्थिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही हो।

(घ) ''क्रीमी लेयर'' को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(ङ) यहा कहना सही नहीं है कि नागरिकों का पिछड़ा वर्ग जो अनुच्छेद 16(4) में अवेक्षित है, वह वही है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में किया गया है। वह वर्ग अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत है। अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक पिछड़ेपन पर ज़ोर दिया गया है। निस्संदेह भारतीय परिप्रेक्ष्य में आर्थिक पिछड़ापन सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से बहुत निकटता से जुड़ा है।

(च) किसी राज्य की सेवाओं में किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है या नहीं यह समुचित सरकार के विषयमूलक संतुष्टि का मामला है। प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के लिए की जाने वाली न्यायिक संवीक्षा उसी प्रकार विषयमूलक समाधान पर आधारित होती है जिस प्रकार किसी प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य मामले में की गई न्यायिक संवीक्षा उस पर आधारित होती है।

(4) (क) नागरिकों के किसी वर्ग की पहचान केवल तथा अनन्य रूप से आर्थिक मापदण्ड के अनुसार नहीं की जा सकती।

(ख) निस्संदेह, किसी भी सरकार या अन्य प्राधिकरण के लिए यह अनुज्ञेय है कि यदि वह उचित समझे तो नागरिकों के पिछड़े वर्ग की पहचान व्यवसाय और आय के आधार पर बिना जातीय संदर्भ के करे।

(5) नागरिकों के पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण पिछड़े और अधिक पिछड़े प्रवर्ग में करने में कोई सांविधानिक वर्जन नहीं है।

(6) (क) और (ख) अनुच्छेद 16 के खंड (4) में अवेक्षित आरक्षण 50% से अधिक नहीं होने चाहिए। जहां 50% का नियम लागू होगा वहा, यह देखते हुए कि इस देश में और यहां के लोगों में बड़ी विविधता है, यह आवश्यक नहीं है कि असाधारण परिस्थितियों की ओर ध्यान न दिया जाए। यह हो सकता है कि दूर दराज़ के और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से कटे रहने के कारण और उनकी विशिष्ट स्थिति और स्वभाव की दृष्टि से, इस नियम में कुछ रियायत देना अनिवार्य हो जाए। ऐसा करते समय अत्यधिक सावधानी से काम लेना चाहिए और यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि यह एक विशेष मामला है।

(ग) 50% का नियम प्रत्येक वर्ष लागू किया जाना चाहिए। उसे, यथास्थिति, किसी वर्ग, प्रवर्ग, सेवा अथवा संवर्ग (काडर) की कुल संख्या से नहीं जोड़ा जा सकता।

(घ) देवदासन का निर्णय गलत हुआ था और तदनुसार, जिस सीमा तक वह इस निर्णय से असंगत है उस सीमा तक उसे नामंजूर किया जाता है।

(7) अनुच्छेद 16(4) में पदोन्नति के लिए आरक्षण करने का प्रावधन करने पर कोई रोक नहीं है। तथापि, इस नियम का प्रवर्तन केवल भविष्य में होगा और जो पदोन्नतियां पहले से नियमित आधार पर अथवा किसी अन्य आधार पर की गई हैं, उन्हें प्रभावित नहीं करेगा। यह निदेश दिया जाता है कि इस मामले में हमारा निर्णय भविष्य में लागू होगा और पहले से की गई पदोन्नतियों पर चाहे वे अस्थायी, स्थानापन्न अथवा नियमित/स्थायी आधार पर हों, प्रभावी नहीं होगा। यह भी निदेश दिया जाता है कि जहां पदोन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है चाहे वह केन्द्रीय सेवाओं में अथवा राज्यों की सेवाओं में अथवा किसी निगम, प्राधिकरण अथवा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ''राज्य'' की परिभाषा में आने वाले किसी निकाय की सेवा में हो—वहां यह आरक्षण आज के दिन से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। इस अवधि में, समुचित प्राधिकरणों के लिए यह छूट होगी कि वे, अनुच्छेद 16(4) के उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित नियमों का पुनरीक्षण करें, उन्हें संशोधित करें या फिर से जारी करें। यदि कोई प्राधिकरण यह सोचता है कि किसी सेवा, वर्ग अथवा प्रवर्ग में ''नागरिकों के पिछड़े वर्ग'' के लिए समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उसमें सीधी भर्ती का प्रावधान करना आवश्यक है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होगा। (न्यायमूर्ति, अहमदी ने इस प्रश्न पर कोई मत प्रकट नहीं किया और भारतीय संघ की प्रारम्भिक आपत्ति को ठीक माना) प्रशासन की कुशलता को सीमित किए बिना आरक्षित प्रवर्गों के सदस्यों को रियायतें देना या ढिलाई करना राज्य के लिए अनुचित नहीं होगा।

(8) यद्यपि आरक्षण के नियम को योग्यता-विरोधी नहीं माना जा सकता तथापि, कुछ ऐसी सेवाएं और पद हैं जिन पर आरक्षण के नियम को लागू करना वांछनीय नहीं होगा।

(9) जिन अनेक वर्गों की अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में पहचान की गई है यदि उनके सापेक्ष पिछड़ेपन के आधार पर किए गए वर्गीकरण को समझा जाए और प्रवर्तित किया जाए तो, जैसा कि इस निर्णय के पैरा 114 में स्पष्ट किया गया है, 25 सितम्बर, 1991 के विवादित कार्यालय ज्ञापन में पिछड़े वर्गों के ग़रीब तथा अन्य प्रवर्गों के बीच जो अंतर किया गया है वह वैध नहीं है।

(10) आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अन्य प्रवर्ग जो आरक्षण की किसी वर्तमान योजना के अंतर्गत नहीं आते उनके लिए 25-9-1991 के विवादित कार्यालय ज्ञापन में जो 10% आरक्षण किया गया है वह आरक्षण सांविधानिक दृष्टि से अवैध है और उसे, तदनुसार, समाप्त किया जाता है।

(11) न्यायिक संवीक्षा का ऐसा कोई विशिष्ट या विशेष मापदण्ड नहीं है जिसे अनुच्छेद 16(4) से उत्पन्न मामलों पर लागू किया जा सके।

(12) अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किए जाने की प्रार्थनाओं और अधिक संख्या में शामिल किए जाने की प्रार्थनाओं और अधिक संख्या में शामिल किए जाने या शामिल न किए जाने की शिकायतों की जांच करने और सरकार को सलाह देने के लिए आयोग के रूप में एक स्थायी तंत्र निर्मित करने की शक्ति भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास है और उन्हें ऐसा तंत्र स्थापित करना चाहिए। सामान्यत: ऐसे आयोग की सलाह राज्य के लिए बाध्यकारी होगी। लेकिन यदि सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती तो उसे ऐसा करने का कारण अभिलिखित करना चाहिए।

(13) हमारे द्वारा यहां दिए गए उत्तरों और इसके साथ जारी किए गए निदेशों की दृष्टि में मंडल आयोग द्वारा किए गए कार्य के सही होने या पर्याप्त होने के विषय में कोई मत प्रकट करना आवश्यक नहीं है। यह मामला पांच न्यायाधीशों के संविधान पीठ को वापस भेजना भी उतना ही अनावश्यक है।

1.10 सुलभ संदर्भ के लिए, हम पक्षों के काउन्सिल द्वारा तैयार किए गए और पैरा 26 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी अभिलिखित कर रहे हैं। हमारे प्रश्नवार उत्तर निम्नलिखित हैं :—

(1) अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद नहीं है। वह अनुच्छेद 16(1) में अंतर्निहित वर्गीकरण का उदाहरण है। अनुच्छेद 16(4) यद्यपि पूर्णतया पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण के विषय से संबंधित है, उसमें आरक्षण की संकल्पना का पूर्ण उल्लेख नहीं है। अन्य वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16 के खंड (1) के अंतर्गत किया जा सकता है।

(2) अनुच्छेद 16(4) में की गई अभिव्यक्ति ''पिछड़ा वर्ग'' में ''अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति'' और संभवत: अन्य पिछड़े वर्ग भी शामिल हैं। अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक पिछड़ेपन पर बल दिया गया है। सामाजिक पिछड़ेपन से शैक्षिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन आता है। ये दोनों ही परस्पर अंशदायी हैं और भारतीय समाज के निम्न व्यवसायों से जुड़े हैं। भारत के सामाजिक वर्ग में एक जाति हो सकती है और प्राय: होती है। अनुच्छेद 16(4) में अवेक्षित नागरिकों के पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल आर्थिक आधार पर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 46 में उल्लिखित कमज़ोर वर्गों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे वर्ग भी शामिल हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 340 में किया गया है और जो अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आते हैं।

(3) अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत भी केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं किए जा सकते।

(4) अनुच्छेद 16 के खंड (4) में अवेक्षित आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यद्यपि 50% का नियम है लेकिन यह आवश्यक है कि इस देश की और यहां की जनता की बड़ी विविधता को देखते हुए कतिपय असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। ऐसा हो सकता है कि कुछ दूर दराज के सुदूर क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के प्रति, उनके मुख्य धारा से कटे होने के कारण और उनकी विशिष्ट स्थिति और स्वभाव की दृष्टि से उनके साथ भिन्न व्यवहार करने की आवश्यकता हो और इस कड़े नियम में कुछ रियायत करना अनिवार्य हो जाए। ऐसा करते समय विशेष सावधानी से काम करना चाहिए और विशेष मामला होने पर ऐसा करना चाहिए।

इस नियम को लागू करने के लिए, किसी एक वर्ष में नियुक्तियों का आरक्षण किसी ग्रेड, संवर्ग (काडर) अथवा सेवा में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी सेवा या प्रवर्ग में आरक्षण तभी किया जा सकता है जब राज्य का इस विषय में समाधान हो जाए कि उसमें पिछड़े वर्ग के नागरिकों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है।

देवदासन जिस सीमा तक इससे असंगत है उस सीमा तक उसे नामंजूर किया जाता है।

(5) अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजन के लिए पिछड़े वर्गों का अधिक पिछड़े और पिछड़े वर्गों में वर्गीकरण करने में कोई सांविधानिक बाधा नहीं है। उनमें सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अंतर किया जाना चाहिए। तथापि, ऐसा वर्गीकरण

करते समय यह सुनिश्चित करना वांछनीय ही नहीं वरन् आवश्यक होना चाहिए कि विभिन्न पिछड़े वर्गों के बीच इस प्रकार विभाजन किया जाए कि एकाधिक वर्गों को एक साथ न रखा जाए कि जिससे ऐसे एक या दो वर्ग ही सारा कोटा हड़प लें तथा अन्य पिछड़े वर्ग वंचित रह जाएं।

"क्रीमी लेयर" को अलग करने के लिए सामाजिक प्रगति के सूचक या माप के रूप में आर्थिक आधार को अपनाया जा सकता है।

(6) अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत "प्रावधान" कार्यपालिका के आदेश द्वारा किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि यह प्रावधान संसद/विधान मंडल द्वारा किया जाए।

(7) अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत उत्पन्न मामलों के लिए न्यायिक संवीक्षा का कोई विशेष मापदण्ड निश्चित नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न के बारे में इससे अधिक कुछ कहना संभव या आवश्यक नहीं है।

(8) अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत नियुक्तियों अथवा पदों का आरक्षण आरंभिक नियुक्ति तक ही सीमित है और पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता। हमारा निदेश है कि इस प्रश्न पर हमारे निर्णय का प्रवर्तन केवल आगामी होगा और उससे ऐसी पदोन्नतियां प्रभावित नहीं होंगी जो पहले की जा चुकी है चाहे वे अस्थायी, स्थानापन्न, नियमित/स्थायी आधार पर की गई हों। यह भी निदेश दिया जाता है कि जहां पदोन्नति के लिए आरक्षण पहले ही किए जा चुके हैं—चाहे वह केन्द्रीय सेवा में अथवा राज्य की सेवा में, या किसी निगम अथवा ऐसे प्राधिकरण या निकाय की सेवा में हों जो अनुच्छेद 12 में दी गई "राज्य" की परिभाषा में आता है—ऐसे आरक्षण आज के दिन से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तित रहेंगे। इस अवधि के दौरान समुचित प्राधिकरणों को लिए यह छूट होगी कि वे अनुच्छेद 16(4) के उद्देश्य की उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित नियमों की पुनरीक्षा करें, उन्हें संशोधित करें या उन्हें फिर से जारी करें। यदि कोई प्राधिकरण यह सोचता है कि किसी सेवा, वर्ग अथवा प्रवर्ग में "नागरिकों का पिछड़ा वर्ग" को समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उसमें सीधी भर्ती करने का प्रावधान करना आवश्यक है तो उसे ऐसा करने की छूट होगी।

निर्णय के प्रभाव

1.11 उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सरकारी सेवाओं में अनेक स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के अनेक पहलुओं पर प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो यह होगी कि समाज के लाभ से वंचित वर्ग के एक और भाग को आरक्षणों के क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा और यद्यपि ऐसे आरक्षण दक्षिण के कुछ राज्यों में अनेक वर्षों से प्रचलित हैं, केन्द्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों की सेवाओं में यह आरक्षण की एक नई संकल्पना होगी। कुछ क्षेत्रों में यह अनुभव किया जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रतिशत, जाति के आधार पर समाज के अधिकाधिक वर्गों को विशेषकर मुखर वर्गों और तत्कालीन सरकार द्वारा लाभ से वंचित समझे जाने वाले वर्गों के लिए लाभकारी प्रतीत होने के कारण, सस्ती लोकप्रियता पाने के कार्यक्रम का रूप ले लेगा। प्रतिनिधित्व का प्रतिशत ऊंचा होने के कारण उसका जनता के उस उन्नत वर्ग द्वारा विरोध भी किया जा सकता है। एक अन्य परिणाम यह हो सकता है कि उससे अ०जा० और अ०ज०जा० के प्रति सहानुभूति कम हो सकती है, क्योंकि अनेक लोग अंतर को नहीं समझ पाते और यह समझते हैं कि आरक्षण केवल अ०जा० और अ०ज०जा० से जुड़ा है और यह अनुभव करते हैं कि यह सारा का सारा उच्च आरक्षण अ०जा० और अ०ज०जा० को दिया जा रहा है। आरक्षण के लाभ भर्ती में भी दिए जाने के बाद शीघ्र ही यह मांग खड़ी होगी कि अ०जा० और अ०ज०जा० को प्राप्त अन्य लाभ भी अन्य पिछड़े वर्गों को दिए जाएं। यद्यपि अन्य पि० व० के लाभ के लिए किए गए उपायों पर आयोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान द्वारा अथवा सरकार द्वारा किए गए किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत अ०जा० और अ०ज०जा० को दिए गए सुरक्षण कम न हों।

1.12 उच्चतम न्यायालय के निर्णय से अ०जा० और अ०ज०जा० को दिए गए सुरक्षणों पर पदोन्नतियों के क्षेत्र में भी विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। निर्णय के अनुसार पदोन्नतियों के लिए किया गया आरक्षण पांच साल के बाद प्रभावी नहीं रहेगा। निर्णय सुनाए जाने की तिथि (16-11-92) से पांच वर्ष की अवधि में समुचित प्राधिकरणों के लिए यह छूट होगी कि वे अनुच्छेद 16(4) के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संबंधित नियमों का पुनरीक्षण करें, उन्हें संशोधित करें या फिर से जारी करे।

1.13 आयोग को यह सूचना देने में हर्ष है कि पदोन्नतियों में आरक्षण सुनिश्चित करके और संविधान में निम्नलिखित खंड 16(4क) जोड़कर अ०जा० और अ०ज०जा० को सभी स्तरों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए समुचित उपाय किए गए हैं। "इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, पदों की किसी श्रेणी या श्रेणियों पर पदोन्नति के विषय में आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए रोक नहीं लगाती है"। इस प्रकार, निर्णय को निष्प्रभाव कर दिया गया है और पदोन्नतियों के लिए आरक्षण को जारी रखा गया है।

1.14 देश में परिवर्तन का क्रम जारी है। समाज का धनी वर्ग प्रतिवर्ष अधिक धनी होता दिखाई दे रहा है और सामान्य उन्नति के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही समाज का उपेक्षित वर्ग विशेषकर पिछड़े और दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग, यह अनुभव करते हैं कि बढ़ी हुई कीमतों तथा जीवन स्तर की बढ़ती हुई असमानता के कारण उनका जीवन पहले से कहीं अधिक कष्टप्रद हो गया है। सरकारी क्षेत्र संकुचित होता दिखाई दे रहा है या, कम से कम, पहले के समान बढ़ता दिखाई नहीं देता और इसलिए, नौकरियां देने की उसकी क्षमता कम हो रही है। ऐसे परिदृश्य में जनता के कमजोर वर्ग के विकास के लिए नई प्रभावी नीति की योजना बनाने की बात सोचना अनिवार्य हो गया है। संभवत: अब समय आ गया है कि उपेक्षित वर्ग के लोगों को उनके अधिकार देने की बजाए, उन्हें यह बताया जाए कि वे अपने अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। केवल ऐसा करने से ही सम्पन्न एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक पीढ़ी का सृजन हो सकेगा।